



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244627
CG-DL-E-23032023-244627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1344]

No. 1344]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2023/चैत्र 2, 1945

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2023/CHAITRA 2, 1945

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2023

का.आ. 1397(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है;

और उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र में अंतर्विष्ट करने वाला रेखांक धारक संख्यांक आरईवी/11/2022, तारीख 01 दिसम्बर, 2022 का निरीक्षण सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (भूमि और राजस्व विभाग), दरभंगा हाउस, राँची – 834029 (झारखण्ड) के कार्यालय में या महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मगध संघमित्रा क्षेत्र, जिला लातेहार (झारखण्ड) या उपायुक्त, जिला लातेहार (झारखंड) के कार्यालय में या महाप्रबंधक (खोज प्रभाग) आर.आई.-III, केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची (झारखंड) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, कोर-2, 5वीं मंजिल, दिल्ली-110 092 के कार्यालय में किया जा सकता है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले का पूर्वोक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति -

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गई कार्रवाई से हुई क्षति या संभावित क्षति, अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी नुकसानी के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा; अथवा
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (1) के अधीन समाप्त हो गई पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (4) के अधीन समाप्त हो गये खनन पट्टे के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, सारणियों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा,

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मगध संघमित्रा क्षेत्र, जिला लातेहार (झारखण्ड) या महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भूमि और राजस्व विभाग, दरभंगा हाउस, राँची - 834029 (झारखण्ड) को सुपुर्द करेगा।

अनुसूची

मगध ओपनकास्ट परियोजना, मगध विस्तार -III

जिला लातेहार (झारखण्ड)

[रेखांक धारक संख्यांक आरईवी/11/2022, तारीख 01 दिसम्बर, 2022]

क्रम सं.	ब्लॉक	ग्राम	थाना संख्या	थाना	जिला	क्षेत्र		टिप्पणियां
						एकड़ में	हेक्टेयर में	
1.	ए	सेरेगड़ा	60	बालुमाथ	लातेहार	20.29	8.21	भाग
		चेटर	59	बालुमाथ	लातेहार	7.71	3.12	भाग
2.	बी	चेटर	59	बालुमाथ	लातेहार	12.72	5.15	भाग
3.	सी	चेटर	59	बालुमाथ	लातेहार	2.03	0.82	भाग
4.	डी	चेटर	59	बालुमाथ	लातेहार	13.22	5.35	भाग
5.	ई	सेरेगड़ा	60	बालुमाथ	लातेहार	0.94	0.38	भाग
6.	कुल:					56.91 एकड़ (लगभग)	23.03 हेक्टेयर (लगभग)	

सीमा वर्णन :

ब्लॉक	सीमा रेखा	सीमा वर्णन
ए	ए1-ए2-ए3-ए4-ए5-ए6-ए7-ए8-ए9-ए10-ए11-ए12-ए13-ए14-ए15-ए16-ए17-ए18-ए1	रेखा बिन्दु 'ए1' से आरंभ होकर बिन्दु ए2, ए3, ए4, ए5, ए6, ए7, ए8, ए9, ए10, ए11, ए12, ए13, ए14, ए15, ए16, ए17 और ए18 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'ए1' पर मिलती है।
बी	बी1- बी2- बी3- बी4-बी5-बी1	रेखा बिन्दु 'बी1' से आरंभ होकर बिन्दु बी2, बी3, बी4 और बी5 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'बी1' पर मिलती है।
सी	सी1- सी2- सी3- सी4-सी5-सी1	रेखा बिन्दु 'सी1' से आरंभ होकर बिन्दु सी2, सी3, सी4 और सी5 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'सी1' पर मिलती है।

डी	डी1- डी2- डी3- डी4-डी5-डी1	रेखा बिन्दु 'डी1' से आरंभ होकर बिन्दु डी2, डी3, डी4 और डी5 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'डी1' पर मिलती है।
ई	ई1- ई2- ई3- ई4-ई5-ई1	रेखा बिन्दु ई1 से आरंभ होकर बिन्दु ई2, ई3, ई4 और ई5 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'ई1' पर मिलती है

[फा. सं. 43015/12/2020-एलएण्डआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2023

S.O. 1397(E).—Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And, whereas, the plan bearing number Rev/11/2022, dated the 01st December, 2022, containing details of the areas of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Central Coalfields Limited (Land and Revenue Department), Darbhanga House, Ranchi- 834029 (Jharkhand) or at the office of the General Manager, Central Coalfields Limited, Magadh Sanghmitra Area, District Latehar (Jharkhand) or at the office of the Deputy commissioner, District Latehar (Jharkhand) or at the office of the General Manager (Exploration Division), RI- III, Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi (Jharkhand) or at the office of the Coal Controller, Coal Controller's Organisation, Ministry of Coal, Scope Minar, Cor-II, 5th Floor, Delhi-110092;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the land described in the said Schedule ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may --

- claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or
- claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act, for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the office of the General Manager, Central Coalfields Limited, Magadh Sanghmitra Area, District Latehar (Jharkhand) or General Manager, Central Coalfields Limited, Land and Revenue Department, Darbhanga House, Ranchi- 834029 (Jharkhand) within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Magadh Opencast Project, Magadh Expansion – III

District- Latehar (Jharkhand)

[Plan bearing number Rev/11/2022, dated the 01st December, 2022]

Sr. No.	Block	Village	Thana number	Thana	District	Area		Remarks
						In acres	In hectares	
1.	A	Seregara	60	Balumath	Latehar	20.29	8.21	Part
		Chetar	59	Balumath	Latehar	7.71	3.12	Part
2.	B	Chetar	59	Balumath	Latehar	12.72	5.15	Part
3.	C	Chetar	59	Balumath	Latehar	2.03	0.82	Part
4.	D	Chetar	59	Balumath	Latehar	13.22	5.35	Part
5.	E	Seregara	60	Balumath	Latehar	0.94	0.38	Part
6.	Total :					56.91 acres (approximatively)	23.03 hectares (approximatively)	

Boundary description :

Block	Boundary Line	Boundary description
A	A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15-A16-A17-A18-A1.	Line starts from point 'A1' and passes through points A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17 and A18 and meets at starting point 'A1'.
B	B1- B2- B3- B4-B5-B1.	Line starts from point 'B1' and passes through points B2, B3, B4 and B5 and meets at starting point 'B1'.
C	C1- C2- C3- C4-C5-C1.	Line starts from point 'C1' and passes through points C2, C3, C4 and C5 and meets at starting point 'C1'.
D	D1-D2-D3-D4-D5-D1.	Line starts from point 'D1' and passes through points D2, D3, D4 and D5 and meets at starting point 'D1'.
E	E1- E2- E3- E4-E5-E1.	Line starts from point 'E1' and passes through points E2, E3, E4 and E5 and meets at starting point 'E1'.

[F. No. 43015/12/2020-LA&IR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.